

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/856

दिनांक - 25.02.26

प्रार्थिनी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नैनूदेवी पत्नि तेजाराम जाति जटिया  
निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 पुखराज पुत्र भगवानदास वगैराह जाति जटिया  
निवासी गंगामाई मंदिर के पास बाड़मेर तहसील  
व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-360/2025

दिनांक-10/02/2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 2137/79 रकबा 14.17 बीघा, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 25.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/857-860

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थिनी नैनूदेवी पत्नि तेजाराम जाति जटिया निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पुखराज पुत्र भगवानदास वगैराह जाति जटिया निवासी गंगामाई मंदिर के पास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर